



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 302)

बिलासपुर, दिनांक 25/10/23

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:- जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु M/s Gupta Stone Mines द्वारा Approach Road for transportation of Mineral at Village - Lohrakot, Tehsil Jaijaipur, Distt. Janjgir-Champa. क्षेत्रफल - 1.180 हे. पंजीयन बाबत।

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Approach/146661/2021

संदर्भ - आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/2351, दिनांक 22.09.2021 वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा का पत्र क्र./तक.अधि./7652 दिनांक 06.10.2023

-----:0:-----

विषयांतर्गत लेख है कि आवेदनकर्ता M/s Gupta Stone Mines जांजगीर के द्वारा आवेदित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

- बि.क.1. आवेदक विभाग का मांग पत्र - M/s Gupta Stone Mines जांजगीर द्वारा केशर खदान में आवागमन हेतु रोड निर्माण हेतु वनभूमि 1.180 हे. की मांग की गई है।
(प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 3 तक)
- बि.क.2. प्रपत्र-I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - FP/CG/APPROACH/146661/2021
(प्रस्ताव पृष्ठ 4 से 9 तक)
- बि.क.3. वन क्षेत्र का विवरण - वनभूमि रकबा 1.180 हे. है। विस्तृत विवरण संलग्न है।
(प्रस्ताव पृष्ठ 10. से 11. तक)
- बि.क.4. गैर वन क्षेत्र का विवरण - निरंक (प्रस्ताव पृष्ठ 12. से 13 तक)
- बि.क.5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50,000 स्केल पर - सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट 1: 50,000 स्केल पर संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 14 से 16 तक)
- बि.क.6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप - वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 17 से 20 तक)
- बि.क.7. प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव - प्रपत्र 4 में प्रस्ताव संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 33 तक)
- बि.क.8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 35. तक)
- बि.क.9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 36 से 37 तक)
- बि.क.10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 38 से 39 तक)
- बि.क.11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 50 तक)

- बि.क.12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) – वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र अ एवं ब में तैयार कर संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 51 से 52 तक)
- बि.क.13. कास्ट/बेनेफिट एनालिसिस – गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी भी प्रजाति के वृक्षों का विदोहन कास्ट बेनेफिट एनालिसिस पत्रक संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 53 एवं 54)
- बि.क.14. चयनित गैर वन क्षेत्र/निजि भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र – प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 55 से 56 तक)
- बि.क.15. गैर वन के आसपास क्षेत्र का नक्शा – चूंकि प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वन भूमि का चयन किया गया है। अतः आसपास के गैर वन क्षेत्र के नक्शे की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 57 से 58 तक)
- बि.क.16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण का प्रस्ताव आरएफ 42 छितापंडरिया जांजगीर-चांपा वनमंडल में चयन किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 59. से 72. तक)
- बि.क.17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को अतिक्रमण रहित तथा वन प्रबंधन एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना प्रमाणित किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 73 से 74 तक)
- बि.क.18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 75 से 76 तक)
- बि.क.19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावशील वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 77 से 78 तक)
- बि.क.20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावशील वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है। अतः उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है। (प्रस्ताव पृष्ठ 79 से 80 तक)
- बि.क.21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मरवाही वन मण्डल अंतर्गत वन भूमि को चयनित किया गया है अतः गैर वन भूमि की अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 81. से 82 तक)
- बि.क.22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 83 से 84 तक)
- बि.क.23. रिक्लेमेशन प्लान – आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 85 से 86)
- बि.क.24. माईनिंग प्लान IBM द्वारा अनुमोदन (केवल खनन प्रकरण में) – आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 87 से 88 तक)
- बि.क.25. व्यवस्थापन प्लान – संयंत्र से प्रभावित होने वाले राजस्व वन क्षेत्र में किसी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 89 से 90)
- बि.क.26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र-I से IV तक) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं भाग 2 एवं प्रपत्र 3 में प्रस्ताव पर भौतिक निरीक्षण के आधार पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है। (प्रस्ताव पृष्ठ 91. से 101 तक)
- बि.क.27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व के स्थल पर मूर्ति या चिन्ह का समावेश नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 102 से 103 तक)

- बि.क.28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 104 से 105 तक)
- बि.क.29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा 250.066 हे. में) – जिले की कुल वन भूमि का विवरण संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 106 से 107 तक)
- बि.क.30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 232.894 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ. 108 से 109 तक)
- बि.क.31. व.स.अ.1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 111 तक)
- बि.क.32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न हाने की जानकारी – राजस्व वन भूमि हेतु गैरवानिकी उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 112 से 113 तक)
- बि.क.33. 15 कि. मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – संस्थान विद्युत उत्पादन से संबंधित है अतः 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 114 से 115 तक)
- बि.क.34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – वन अधिकार मान्यता पत्र किसी को नहीं दिया गया है जिस हेतु प्रदर्श अ, ब एवं स तथा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 116 से 120 तक)
- बि.क.35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – संबंधित संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत संलग्न करने हेतु वचन पत्र दिया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 121 से 122 तक)
- बि.क.36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – संस्थान के द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र संलग्न किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 123. से 124. तक)
- बि.क.37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – बिन्दूवार 1 से 8 तक दर्शित कैपा चार्जेश मांगपत्र दिये जाने पर जो नियमानुसार लागू होगा को जमा करने का वचन पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 125 से 127 तक)
- बि.क.38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 128 से 129 तक)
- बि.क.39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 130 से 131 तक)
- बि.क.40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other nonforestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – प्रकरण से संबंधित नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 132 से 133)
- बि.क.41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 136 तक)
- बि.क.42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रकरण से संबंधित नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 137 से 138 तक)
- बि.क.43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – अनुपालन की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 140 तक)

बि.क.44 प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के अभिलेख की कमी नहीं है का प्रमाण पत्र संलग्न है।
(प्रस्ताव पृष्ठ 141 से 278)

अतः प्रकरण प्रथम चरण स्वीकृति हेतु अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।
संलग्न – प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

पू.क्र./तक./ 3022

प्रतिलिपि –

1. वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, जांजगीर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. M/s Gupta Stone Mines, अग्रसेन चौक, मेनरोड, बिल्हा बिलासपुर छ.ग. सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 25/10/23

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, मेसर्स गुप्ता स्टोन माईस द्वारा जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल में Approach Road for transportation of Mineral at Village - Lohrakot, Tehsil Jaijaipur, Distt. Janjgir-Champa हेतु प्रस्तावित संरक्षित/ नारंगी/राजस्व वनभूमि रकबा 1.180 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 25/10/2023

(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर